न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 53 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. छोगाराम पुत्र खेताराम उम्र 52 वर्ष 2. पुनमाराम पुत्र खेताराम उम्र 38 वर्ष 3. मूलाराम पुत्र खेताराम उम्र 48 वर्ष 4. रूखमों पत्नि खेताराम उम्र 75 वर्ष जातियान मेघवाल निवासी शिवनगर टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. डूंगराराम पुत्र लाधाराम उम्र 60 वर्ष 2. केशाराम पुत्र सोनाराम उम्र 52 वर्ष 3. पुरखाराम पुत्र सोनाराम उम्र 55 वर्ष 4. भूराराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष जातियान मेघवाल निवासी शिवनगर टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. कोकूदेवी पत्नि रामूराम उम्र 75 वर्ष 6. पाबूराम पुत्र रामूराम उम्र 45 वर्ष 7. मांगाराम पुत्र रामूराम उम्र 42 वर्ष 8. माधाराम पुत्र रामूराम उम्र 48 वर्ष 9. रूपाराम पुत्र ऊकाराम उम्र 32 वर्ष 10, लेरों पत्नि चंदा उम्र 60 वर्ष 11. वीरमाराम पुत्र रामूराम उम्र 45 वर्ष जातियान भील निवासी शिवनगर टाकू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. ताराराम पुत्र लाधुराम उम्र 45 वर्ष जाति भील निवासी जैरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेक[illegible]बत)

उपस्थिति–

1 श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] ओर से उपस्थित।

2. श्री भंवरलाल सारण विप्रार्थी स.1 [illegible] ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:34 IST
Reason: SelfAttested

वीरमाराम
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3. शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 23.11.2022

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा शिवनगर टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 361/20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम शिवनगर टाकूबेरीं पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 361/20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थीगण सं. 1 की तरफ से वकील उपस्थित, शेष विप्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी होने एवं उस पर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने बावजुद भी उपस्थित नहीं रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 361/20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 361/20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:34 IST
Reason: SelfAttested

4.इसके विपरित वकील अप्रार्थीनीगण अणसीदेवी व अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर सुनवाई के दौरान अप्रार्थीनीगण के वकील ने अभिकथन किया कि प्रार्थीगण छोगाराम पुत्र लाधाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 361/20 ग्राम शिवनगर टाकू के नेखमबंदी हेतु विचाराधीन प्रकरण के कम में एक घोषणात्मक व पाने निषेधाज्ञा का वाद अनवान तुलछीदेवी बनाम डूंगराराम न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, जिसमें वादीनीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति का उल्लेख के चाही गई इस्तदुआ अनुसार स्थगन जारी हो रखा है। उक्त विचाराधीन वाद/आवेदन के प्रतिवादीगण छोगाराम द्वारा यह नेखमंबदी का आवेदन न्यायालय को अंधेरे में रखकर पेश किया है, जिसमें नेखमबंदी की आड़ में वह अप्रार्थीनीगण के हक एवं कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन बेदखली पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जब घोषणात्मक वाद विचाराधीन है तब तक इस नेखमबंदी की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

4.हमनें वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम शिवनगर टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 361/20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। परन्तु जंहा तक विवादग्रस्त भूमि के संबंध पक्षकारान द्वारा घोषणामक वाद प्रस्तुत करते हुए पैतृक खातेदारी जोत में अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने की इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए पेश किया है, जो कि न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण पक्षकारान के मध्य घोषणा तथा उसके कब्जा काश्त को लेकर है। यदि उक्त आवेदन पत्र पर मूल वाद तुलछीदेवी बनाम डूंगराराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णय से पूर्व किसी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है अथवा यदि मूल वाद के निर्णय से वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान [illegible] विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी [illegible] के निस्तारण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अनावश्यक विलम्ब की प्रबल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

5.लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मूल वाद 05/2018 हरजीराम बनाम रूपाराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन मूल वाद के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29-11-2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:34 IST
Reason: SelfAttested